

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

सुभाष

बनाम

गोप्यलाल

मुकदमा संख्या / वर्ष

823

/ 20

विशेष विवरण

क्र०स०

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

17/5/24

पत्रावली पेशा हुई प्रार्थी व उनके अधिवक्ता
उपस्थित नहीं। वस्तु अदालत प्रार्थी व
उनके अधिवक्ता को बार-बार
आवाज लगावई गई लेकिन उनकी
ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने
से प्रार्थी का पाठ पत्र अधम हाजरी
अधम पंखी में खारिज किया जाता है
पत्रावली फंसल शुमार लेकर पन्नी
नम्बर से कम हो बाद तकमिल
दाखिल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर वितीय (सांगानेर)

